अनुदान संख्या 87 - पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 87- MINISTRY OF SHIPPING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	1654,41,00		1654,44,00	1164,90,99	-489,53,01
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					437,74,75
पूंजीगत :	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	518,48,00		518,51,00	442,86,25	-75,64,75
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					66,22,86

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat –Economic Services				
मू.	O.	2270.00	2082.30	2007.71	- 74.59
पु.	R.	-187.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6300.00	..	..	..
पु.	R.	-6300.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	76499.00	25069.56	21033.69	-4035.87
पु.	R.	-51429.44			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	68752.00	72984.38	72092.66	-891.72
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	4231.38			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	3641.00	3276.51	3242.43	-34.08
पु.	R.	-364.49			
मुख्य शीर्ष "3056"	Major Head "3056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport				
मू.	O.	7579.00	17664.00	17522.00	-142.00
पू	S.	2.00			
पु.	R.	10083.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	300.00	300.00	300.00	..
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Cooperation with other Countries				
मू.	O.	400.00	292.50	292.50	..
पु.	R.	-107.50			

(I) ₹6753.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6750.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "अंतर्देशीय जल परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण"- ₹6000.00 लाख; और

(ख) "अंतर्देशीय जल परिवहन - केंद्रीय योजना स्कीम- अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास" - ₹300.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹6753.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹6750.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Inland Water Transport- Assistance to Public Sector Undertakings – Inland Waterways Authority of India" – ₹6000.00 lakhs; and

(b) "Inland Water Transport - Central Plan Scheme – Development of IWT" – ₹300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय पोत परिवहन - अन्य व्यय - समुद्री दुर्घटना अन्वेषण प्रकोष्ठ"- ₹450.00 लाख पोत परिवहन महानिदेशक से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे क्योंकि प्रकोष्ठ नया स्थापित किया जा रहा है।

(B) Major Head "3052" – "Coastal Shipping – Other Expenditure - Maritime Accidents Investigation Cell" – ₹450.00 lakhs – due to non-receipt of proposal from DG Shipping, cell being newly established.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पोत परिवहन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹262.29 लाख की बचत (₹2270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिवक्ताओं से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat– Ministry of Shipping" – saving of ₹262.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2270.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of bills from advocates.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries"- savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान और विकास स्कीमों (पोत निर्माण) के लिए सहायता अनुदान"- ₹177.16 लाख की बचत (₹280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संगठनों से स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Grants-in-aid for Research and Development Schemes (Ship-building)" – saving of ₹177.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280.00 lakhs) was due to non-receipt of the clarifications/documents from the concerned organizations.

(खा) "पोत निर्माण आर्थिक सहायता" - ₹8908.50 लाख की बचत (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक सहायता के योग्य पोत निर्माण संविदाएं कम संख्या में प्राप्त होने और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अंतरण रक्षा मंत्रालय को किए जाने के कारण हुई।

(B) "Ship-building Subsidy" – saving of ₹8908.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to receipt of less Ship-building contracts qualifying for subsidy and transfer of Hindustan Shipyard Limited to Ministry of Defence.

(गा) "ई-अभिशासन" - ₹157.24 लाख की बचत (₹256.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वर की अधिप्राप्ति के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(C) "E-Governance" – saving of ₹157.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹256.00 lakhs) was due to non-materialisation of procurement of server.

(घा) "अध्ययन संचालन" - ₹210.52 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से अध्ययनों संबंधी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(D) "Conducting Studies" – saving of ₹210.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal for studies from States.

(ङ) "गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पोत प्रांगणों और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगणों को आर्थिक सहायता" - ₹46010.89 लाख की बचत (₹58830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोत प्रांगणों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(E) "Subsidy to non-Central PSU shipyards and Private Sector Shipyards"- saving of ₹46010.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58830.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from shipyards.

(IV) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में रख-रखाव और तलकर्षण"- ₹467.37 लाख की बचत (₹43798.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा तलकर्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - महानिदेशालय" - ₹151.32 लाख की बचत (₹1996.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रकाश स्तंभों के कार्यकारी व्यय" -

(i) "प्रबंधन" - ₹633.23 लाख की बचत (₹2738.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और खराब मौसम की वजह से रख-रखाव कार्यों में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ii) "प्रचालन और अनुरक्षण" - ₹248.23 लाख की बचत (₹1778.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ तकनीकी कर्मचारियों के अधिशेष घोषित किए जाने और पोतों के मुख्य अनुरक्षण कार्य और शुष्क गोदी में लाए जाने को स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग-द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹107.50 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में घटबढ़ होने और कम मांग होने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹219.39 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under Major Head "3051" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Major Ports - Assistance to Port Trusts – Maintenance and dredging in Haldia Channel by Calcutta Port Trust" - saving of ₹467.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43798.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards dredging by Kolkata Port Trust based on audit certificate.

(B) "Light Houses and Light Ships" -

(a) "Direction and Administration– Directorate General" - saving of ₹151.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1996.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Lighthouses Working Expenses" –

(i) "Management" - saving of ₹633.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2738.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and delay in maintenance works owing to bad weather.

(ii) "Operation and Maintenance" – saving of ₹248.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1778.00 lakhs) was due to some technical staff being declared surplus and postponement of major maintenance works and dry docking for vessels.

(V) Under Major Head "3605" – "Cooperation with other Countries - Bilateral Cooperation Programme"– saving of ₹107.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to exchange rate fluctuation and less demand.

(VI) Under three heads savings of ₹219.39 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 20 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹14449.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष ''3051'' -

(क) ''मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी का तलकर्षण और रख-रखाव'' - ₹4127.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4125.64 लाख था।

(ख) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - प्रशुल्क विनियामक प्राधिकरण को अनुदान'' - ₹189.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹177.63 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3056'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान'' - ₹10133.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9991.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''लघु पत्तन - निदेशन और प्रशासन - पोर्ट ब्लेयर स्थित सीई एवं प्रशासक कार्यालय और नई दिल्ली स्थित ईई एवं सम्पर्क कार्यालय से संबंधित स्थापना प्रभार''- ₹641.86 लाख का अधिक व्यय (₹2935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए और कच्चे माल, मजदूरी आदि की लागत में वृद्धि होने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''तटीय पोत परिवहन - विनियमन और निरीक्षण - व्यापारी बेड़ा विभाग'' - ₹149.28 लाख का अधिक व्यय (₹1153.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए कार्यालयों के लिए वेतन, कम्प्यूटर और कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति और लंबित बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly (₹14449.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in March, 2011 under the following major heads:-

(A) Major Head "3051"-

(a) "Major Ports – Assistance to Port Trusts – River Dredging and Maintenance of river Hooghly by Calcutta Port Trust"– ₹4127.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4125.64 lakhs.

(b) "General – Research and Development – Grants to Tariff Regulatory Authority" – ₹189.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹177.63 lakhs.

(B) Major Head "3056" – "Assistance to Public Sector and Other Undertakings – Grant to Inland Waterways Authority of India" – ₹10133.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9991.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3051" – "Minor Ports – Direction and Administration –Establishment Charges in respect of CE-cum-Administrator Office at Port Blair and E.E & Liaison Office at New Delhi" – excess of ₹641.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2935.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries and owing to cost escalation of raw material, labour etc.

(B) Major Head "3052" – "Coastal Shipping – Regulation and Inspection – Mercantile Marine Department" – excess of ₹149.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1153.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary, procurement of computer and office equipments for new offices and clearance of pending bills.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अंतर्देशीय जल परिवहन - अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Inland Water Transport– Development of IWT" - excess of ₹300.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹76.52 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹76.52 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	42877.00	32016.14	31361.31	-654.83
पु.	R.	-10860.86			
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5917.00	3731.00	3447.00	-284.00
पु.	R.	-2186.00			
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	1380.00			
पु.	S.	1.00	447.00	445.94	-1.06
पू	R.	-934.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6858"	Major Head "6858"				
इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	1572.00			
पु.	S.	1.00	981.00	980.00	-1.00
पू	R.	-592.00			
मुख्य शीर्ष "7051"	Major Head "7051"				
पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों के लिए कर्ज	Loans for Ports and Light Houses				
मू.	O.	100.00			
पु.	S.	1.00	8053.00	8052.00	-1.00
पू	R.	7952.00			

(I) ₹1703.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹1703.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹1500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5051" - "मुख्य पत्तन - तूतीकोरिन पत्तन न्यास - अन्य व्यय" - ₹500.00 लाख; और

(A) Major Head "5051" – "Major Ports - Tuticorin Port Trust –Other Expenditure" – ₹500.00 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष "5075"- "अन्य - अन्य व्यय - सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना" - ₹1000.00 लाख।

(B) Major Head "5075"- "Others - Other Expenditure – Sethusumundrum Ship Canal Project" –₹1000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of revised cost estimates of projects.

(II) मुख्य शीर्ष "5051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5051" – savings occurred under the following heads:-

(का) "मुख्य पत्तन - कोचीन पत्तन न्यास - परिवहन सुविधाएं और बेड़ा" - ₹8052.00 लाख की बचत (₹23797.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर पोतान्तरण परियोजना के लिए कोचीन पत्तन न्यास को कर्ज के रूप में निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(A) "Major Ports – Cochin Port Trust - Transport facilities and Fleet" – saving of ₹8052.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23797.00 lakhs) was due to release of funds to Cochin Port Trust in the form of loan for International Container Transshipment (ICTT) project as per Cabinet decision.

(खा) "लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - अवतरण सुविधाओं और घाटों का निर्माण" - ₹579.75 लाख की बचत (₹2694.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चक्रवातिक क्षतियों और तलकर्षकों के उपलब्ध न होने एवं मुकदमेबाजी की वजह से कार्य का हर्जा होने के कारण हुई।

(B) "Minor Ports – Other Small Ports - Construction of landing facilities and jetties" – saving of ₹579.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2694.00 lakhs) was due to cyclonic damages and the work suffered owing to non-availability of dredgers and litigations.

(गा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और सुधार" - ₹2703.39 लाख की बचत (₹5650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कारखाना स्वीकृति परीक्षण न होने की वजह से चरण अदायगियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses – Construction and Improvement of Light Houses"- saving of ₹2703.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5650.00 lakhs) was due to non-release of stage payments for want of factory acceptance test.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "5052"- "General – Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "ई-अभिशासन" - ₹225.00 लाख की बचत (₹417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसआईडी परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(A) "E-Governance" – saving of ₹225.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹417.00 lakhs) was due to delay in finalization of SID project.

(खा) "भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का विकास" - ₹2245.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और कुछ परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Development of Indian Maritime University" – saving of ₹2245.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and non-approval of some projects.

(IV) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर लि." के अंतर्गत ₹592.00 लाख की बचत (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुमान सहित ₹1572.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "6858" – "Other Industrial Machinery Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Hooghly Dock and Ports Engineers Ltd." – saving of ₹592.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1572.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2011) was due to non-receipt of utilisation certificates.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8118.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "5075" - "अन्य - अन्य व्यय - मुख्य पत्तनों के लिए वेब आधारित इलेक्ट्रानिक डाटा विनिमय का विकास"- ₹166.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹164.94 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "7051" - "मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज" - ₹7952.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7951.00 लाख था।

(II) मुख्य शीर्ष "5051" - "लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन- सुनामी पश्चात निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹499.44 लाख का अधिक व्यय (₹9100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी पश्चात निर्माण कार्य से संबंधित लंबित बिलों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4.(I) The above savings were partly (₹8118.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in August, 2010 and March, 2011 under the following major heads:-

(A) Major Head "5075" – "Others - Other Expenditure –Development of Web based Electronic Data Interchange for Major Ports" – ₹166.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹164.94 lakhs.

(B) Major Head "7051" – "Major Ports – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Port Trust" – ₹7952.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7951.00 lakhs.

(II) Under major Head "5051" – "Minor Ports– Other Small Ports – Post Tsunami Works" – excess of ₹499.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills relating to post tsunami works.